संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1969

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

संसद के दोनों सदनों के इस मिले-जुले सेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सरकार के लिए यह उचित अवसर है कि वह इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखे और अगले वर्ष में अपनी नीतियों और उद्देश्यों की मोटी रूपरेखा बताए।

हमारे गणराज्य के इतिहास में पिछला वर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा था और हम उससे अभी निकल ही पाए हैं। हमारे देशवासियों ने जिस साहस और धीरज के साथ कठिनाइयों को झेला, उस पर गर्व होना चाहिए। उनके त्याग, सहयोग, मेहनत, लगन और देशभक्ति की भावना के बगैर केन्द्र और राज्य की योजनाएं और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते थे।

हमारी आर्थिक प्रगति के मार्ग में जो निशान दिखाई दिए हैं, और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है ये हैं—खेती-बाड़ी की पैदावार में निश्चित बढ़ोत्तरी, उद्योग के बड़े भाग में उन्नति, कीमतों में कमोबेश स्थिरता और शोधन संतुलन में स्पष्ट सुधार।

1967-68 की फसल से हमारी खेती की पैदावार में एक मोड़ आया। अनाज का उत्पादन 9 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन हुआ जोकि 1964-65 के मुकाबले में 60 लाख मीट्रिक टन अधिक था। जूट, कपास, तेल के बीज, चाय, कॉफी और गन्ने जैसी तिजारती फसलें भी अच्छी रहीं। कई राज्यों में सूखा और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ था, उसके बावजूद यह आशा की जाती है कि 1968-69 में अनाज का

उत्पादन उतना ही अच्छा होगा जितना कि 1967-68 में हुआ था। हमारे किसान वैज्ञानिक कृषि को तेजी से अपनाते चले जा रहे हैं। वे सिंचाई के लिए जमीन में से पानी निकालने और खेती-बाड़ी की मशीनें खरीदने के लिए भारी तादाद में पूंजी लगा रहे हैं। 1968-69 में 85 लाख हैक्टेयर जमीन पर अधिक उपज वाली फसलें बोई जाएंगी और अगले वर्ष उसका और भी विस्तार किया जाएगा। 1968-89 में 61 लाख हैक्टेयर और जमीन पर खेती की जाएगी।

सरकार किसानों को काफी मात्रा में रासायनिक खाद देगी और बड़े पैमाने पर उसका आयात भी करेगी और इस तरह उनका हौसला बढ़ाएगी। गोरखपुर, नामरूप और कोटा में नए प्लांट चालू करके भी देसी खाद तैयार की जा रही है। अगले वर्ष के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि कानपुर, दुर्गापुर, कोचीन और बड़ौदा की खाद योजनाएं चालू हो जाएंगी। देश में ट्रैक्टर बनाने पर लाइसेंस की पाबंदी हटाने से ऐसी आशा की जाती है कि ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस बीच सरकार ने किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से ट्रैक्टर मंगाने का इन्तजाम कर दिया है। इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देख-रेख में सहकारी संस्थाएं और कमर्शियल बैंक इस काम को कर रहे हैं। अगले दो या तीन वर्षों के अन्दर बाहर से अनाज की सहायता न लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ ही महीनों में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज का बफर स्टाक तैयार हो जाएगा। 1967-68 में जो फसल हुई थी, उसमें से 64 लाख मीट्रिक टन अनाज लिया जा चुका है। अनाज सुरक्षित रखने और उसका भंडार तैयार करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की है। यह मुमकिन हो सका है कि अनाज के लाने-ले-जाने पर पाबंदियों में ढील दे दी जाए और खास-खास अनाजों के लिए क्षेत्रों का विस्तार कर दिया जाए।

सरकार ने विकास का जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें परिवार नियोजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम का विस्तार बड़े पैमाने पर अब देहाती आबादी तक हो गया है और उनमें बहुत दूर के इलाके भी शामिल हैं।

1967-68 के दौरान खेती की अच्छी पैदावार से राष्ट्रीय आमदनी पिछले वर्ष के मुकाबले 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। ताजा अनुमानों से पता चलता है कि 1967-68 में वास्तविक राष्ट्रीय आमदनी 16,665 करोड़ रुपये थी (1960-61 के मूल्यों पर) जबकि 1966-67 में यह आमदनी 15,272 करोड़ रुपए थी। इससे मालूम होता है कि इस वर्ष राष्ट्रीय आमदनी में 1,393 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। हालांकि चालू वर्ष में कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की सीमा तक ही महदूद रहा, तो भी उद्योग में उत्पादन के सुधार से राष्ट्रीय आमदनी बढ़ने की आशा हो गई है।

उद्योग में भी उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले दो वर्षों में जिन उद्योगों का आधार कृषि था, उनमें कच्चे माल की कमी रही। कृषि में अधिक कार्य करने से और खेतों की आमदनी बढ़ जाने से कृषि-प्रधान उद्योगों में सुधार के लक्षण दिखाई देने

लगे। रासायनिक खाद, कीड़े मारने की दवाइयों और ट्रैक्टरों वगैरह का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। बिजली अधिक पैदा की जा रही है और बिजली की मशीनों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के क्षेत्र में, सूती कपड़े और वनस्पति का अधिक उत्पादन होने लगा है। लेकिन मशीन बनाने वाले कुछ उद्योगों में बनी हुई चीजों की मांग उनकी क्षमता के मुकाबले में नाकाफी रही है। 1968 के पहले नौ महीनों में उद्योग उत्पादन का इन्डैक्स मोटे तौर पर (1960:100) 159.3 था जोकि जनवरी-सितम्बर 1967 के स्तर से 5.6 फीसदी ऊंचा था। वर्तमान संकेतों के आधार पर ऐसा मालूम होता है कि इस वर्ष के दौरान इस इन्डैक्स में 5 से 6 फीसदी तक वृद्धि होगी।

खेती-बाड़ी और कल-कारखानों में उत्पादन के बढ़ने का देश की बेरोजगारी की समस्या पर अच्छा असर पड़ा है। दो वर्षों तक सूखा पड़ने के असर को दूर करने और हालात को सुधारने में हमें अभी देर लगेगी। हमें खास तौर पर तकनीकी माहिरों की बेरोजगारी को दूर करने की बड़ी चिंता है। क्वालीफाइड इंजीनियरों को 'एक खुद को काम पर लगाने की योजना' के अंतर्गत काम दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

कृषि उत्पादन के बढ़ने से यह समस्या खड़ी हो गई है कि किसान को खेती से पैदा की गई चीजों की मुनासिब कीमत मिले। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोशिशों का यह नतीजा है कि अनाज मोल लेने की कीमतों में स्थिरता आयी है। थोक कीमतों का इन्डैक्स, जो कि एक वर्ष 211 हुआ था, अब 205 है।

निर्यात के क्षेत्र में और आयात कम करने के प्रयास में हमारी सफलतायें उत्साहजनक रही हैं। हमारी लगातार यह कोशिश रही है कि आयात की जाने वाली चीजों की जगह देशी चीजें इस्तेमाल की जायें। और ऐसी नावाजिब तौर पर बड़ी-बड़ी इनकी फहरिश्तों को कम किया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि 1968-69 के पहले नौ महीनों में सिर्फ 1,376.49 करोड़ रुपये का माल आयात किया गया। यह पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़ों के मुकाबले में 107.72 करोड़ रुपये कम है। दूसरी तरफ निर्यात करने से हमें 1,019.04 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, यह रकम पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में किये गये निर्यात से लगभग 116.65 करोड़ रुपये अधिक थी। इस वर्ष इंजीनियरी के सामान का नुमायां तौर पर निर्यात हुआ। कपड़ा उद्योग ने भी अधिक मात्रा में अपना निर्यात बढ़ाया है। अब हम पॉलिश किये हुए नगीनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने जा रहे हैं।

हमारे उद्योगों की बनी हुई चीजें, खासतौर से इस्पात, इस्पात की बनी चीजें, बिजली का सामान, चमड़े की चीजें और कुछ कैमिकल चीजें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बहुत कामयाब रही हैं और औद्योगिक देशों की उन मण्डियों में जहां मुकाबला ज्यादा

है और एशिया तथा कई अरब देशों की मण्डियों में भी उन्हें काफी लाभ पहुंचा है। विदेशों से हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी अदायगी के लिए हमने अपने प्राकृतिक और औद्योगिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों के कारण विकासशील देशों के निर्यात से होने वाली आमदनी के बढ़ने में रुकावट पड़ रही है।

सरकार को मालूम है कि अदृश्य खाते के साधनों को बढ़ाने में परिवहन, जहाजरानी और पर्यटन का बड़ा महत्व है। हमारे व्यापारी जहाजी बेड़े का आकार लगभग 20 लाख टन (जी.आर.टी.) है और लगभग 7 लाख टन तैयार करने का आर्डर है। भारवाहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेड़े की रचना में विविधता लायी जा रही है। देश में ही जहाज बनाने का काम धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आशा की जाती है कि इस साल के दौरान कोचीन के दूसरे जहाजों के कारखाने में काम शुरू हो जायेगा।

विदेशों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनायें चालू की गई हैं, खास तौर से महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर अच्छे किस्म के होटलों में रहने का अच्छा इन्तजाम किया जा रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय और देश के अन्य हवाई अड्डों पर ठोस तरीके से सुधार का काम किया जा रहा है।

देश में सिंचाई और बिजली की योजनाओं की बड़ी मांग है। देश में सिंचाई के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए एक अखिल भारतीय सिंचाई कमीशन बनाने का विचार है। यह कमीशन इस बात की रिपोर्ट देगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भूतल और भूगर्भ जल संसाधनों का किस तरह पूरे तौर पर विकास हो सकेगा। हालांकि पिछले बीस वर्षों में बिजली पहले से लगभग छह गुना मिलने लगी है, फिर भी, देश के कई भागों में उसकी मांग उत्पादन क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। वर्तमान क्षमता का ठीक उपयोग करने के लिए सरकार बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसके वितरण की योजनाओं पर और हर क्षेत्र में बिजली के सिस्टम को पूर्ण रूप से चलाने और क्षेत्रीय ग्रिड तैयार करने पर भी अधिक ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक क्षेत्र की फालतू बिजली से पड़ोसी क्षेत्र में जहां बिजली की कमी है उसको पूरा करने के लिए टाई लाइन्स भी बनाई जा रही है। इस तरह आखिर में एक अखिल भारतीय ग्रिड बन कर तैयार हो जायेगा। देहातों में बिजली पहुंचाने के काम को भी विशेष स्थान दिया जा रहा है क्योंकि इससे किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने में लाभ मिलेगा।

योजना कमीशन चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है। यह योजना अगले अप्रैल से आरम्भ हो जायेगी। अगर हमारी योजनायें हमारे राष्ट्र की इच्छा और उसके दृढ़ निश्चय की तरजुमानी नहीं करतीं और लोगों की आवश्यकताओं और सुलभ

संसाधनों के फर्क को पूरा नहीं करतीं तो वे केवल भविष्य की नाममात्र रूपरेखा बनकर रह जायेंगी। उनमें हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य का निर्माण करने के प्रयत्नों की कोई झलक दिखाई न देगी। सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि हमें अपनी बचत, उद्यम और प्रबंधन योग्यता के साधन जुटाने की पूरी कोशिश करनी होगी। देहाती इलाकों में जो नई खुशहाली दिखाई देती है उसे इस तरह काम में लाना होगा जिससे कि खासतौर पर छोटे किसान पैदावार बढ़ा सकें और निसबतन पिछड़े इलाकों में तरक्की होने लगे। पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में ज्यादा पूंजी लगाने की गरज से हमें वास्तविक बचत को बढ़ावा देना होगा और इसका उपयोग केन्द्र तथा राज्यों की माली हालत को मजबूत बनाने में करना होगा।

सरकार को इसकी जानकारी है कि हमारी अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में हमारे पब्लिक सेक्टर को कितना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है। इसके फलस्वरूप, सरकार इस सेक्टर की कार्यक्षमता बढ़ाने पर बराबर ध्यान लगाये हुए है। सरकारी क्षेत्र उद्यम के विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया गया है। इन उद्यमों के प्रबंधकों को अधिक शक्ति प्रदान करने पर इस उद्देश्य से बहुत से फैसले किये गये हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता और लाभ उठाने की शक्ति बढ़ सके। इन उद्यमों के लिए प्रबंध संबंधी साधन जुटाने के लिए कदम भी उठाये गये हैं, जिनमें कर्मचारियों और मजदूरों से सम्बद्ध मामलों पर समुचित नीतियां बरतना भी शामिल है।

विदेशी सहायता के विषय में बड़ी अनिश्चितता आ गई है। विदेशी कर्जे का बोझ बढ़ रहा है और इस वर्ष 51 करोड़ 40 लाख डालर हो गया है। कन्सोर्टियम के देशों और इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डैवलपमेंट ने 10 करोड़ 10 लाख डालर के कर्जे की अदायगी की जो नई व्यवस्था की है, उसका हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त विदेशी सहायता मिलती रहेगी। इसके साथ ही हम ऐसी नीति पर चलना चाहते हैं कि विदेशों से मिलने वाले कर्ज का अच्छी तरह उपयोग किया जाए और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे विदेशी सहायता का सहारा लेना कम कर दिया जाए।

यह कुछ सन्तोष की बात है कि महाराष्ट्र राज्य में तारापुर नामक स्थान पर भारत का पहला अणु बिजलीघर जुलाई, 1969 से 380 मेगावाट बिजली देना आरम्भ कर देगा। बिहार में जादुगुडा मुकाम पर भारत के पहले यूरेनियम खान और कारखाने ने यह काम चालू कर दिया है और वहां यूरेनियम के कंसेंट्रेट्स का उत्पादन होना शुरू हो गया है। हमारे अणु बिजली कार्यक्रम के लिए इन कंसेंट्रेट्स से तैयार किए जाने वाले ईंधन तत्वों के लिए हैदराबाद में कारखाना लगाने का काम शुरू हो गया है। स्पेस रिसर्च के काम में भी काफी तरक्की हुई है। 'रोहिणी' और मौसमी राकेटों को आकाश में छोड़कर एक कामयाब तजुर्बा भी किया गया है। इन राकेटों का डिजाइन भारत में ही तैयार किया गया है और ये पूरे तौर पर यहीं बनाये गये हैं। अब भारत ने उपग्रह

संचार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। पूना के पास आरवी में भारत का पहला 'कमर्शियल उपग्रह संचार भूमि केन्द्र' बन रहा है। आशा है कि अक्तूबर, 1969 के आखिर तक यह केन्द्र काम करना आरम्भ कर देगा।

सरकार को मालूम है कि देश में पूरे तौर से आर्थिक विकास की समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और नागालैंड की विधान सभाओं के चुनाव काफी हद तक अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण वातावरण में हुए हैं। यह संतोष की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आवश्यक समझकर केवल 28 चुनाव केन्द्रों में दोबारा मतदान करने या नये सिरे से चुनाव करने का आदेश दिया है। ये केन्द्र पांच राज्यों के उन एक लाख दस हजार से भी अधिक चुनाव केन्द्रों में से हैं, जहां लगभग दस करोड़ बीस लाख मतदाताओं से हाल ही में अपना मत डालने के लिए कहा गया था। कई जगहों से चिंताजनक सूचना मिली है कि लोगों पर दबाव धमकी के रूप में डाला गया जिसके कारण वे अपना मतदान नहीं दे सके। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। हरेक राजनीतिक दल को राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि वह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच में हम आशा करते हैं कि चुनावों के बाद, जो अभी खत्म हुए हैं, राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थायी सरकारें बन सकेंगी। चूंकि संगठित राजनीतिक पार्टियों से दलबदली के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, इसलिए एक समिति बना दी गई थी कि वह लोक सभा में पास किये हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार करे। इस समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है उसकी सिफारिशों पर संसद में विचार किया जाएगा।

पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों की चर्चा की थी जिनसे हमारे राष्ट्रीय कार्यों में बाधा पड़ी। प्रांत, क्षेत्र, जाति और संप्रदाय के आधार पर किये गये आन्दोलनों के कारण देश में तनाव बढ़ा और हिंसात्मक घटनाएं हुईं। जून, 1968 में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बहुत से विरोधी दलों के नेता और अन्य बड़े-बड़े नेतागण शामिल हुए थे। उस मीटिंग में राष्ट्रीय एकता और खास तौर से सांप्रदायिक तनाव की समस्या पर विचार-विमर्श हुआ था। एकता परिषद् ने कई खास सिफारिशें की हैं जिन पर केन्द्र और राज्यों की सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। परिषद् की सिफारिशों के अनुसार, "अपराध एवं निर्वाचन नियम (संशोधन) बिल 1968" संसद के सामने है। जब यह बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ जाएगा, तब इससे सांप्रदायिकता की बुराइयों को मिटाने में सरकार के हाथ मजबूत हो सकेंगे। हालांकि कानूनी और इंतजामी तरीके बरतने जरूरी हैं, फिर भी हमारे सभी लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिये। सफलता इसी में है कि लोगों के दिल और दिमाग में नेशनलिज्म और सैक्युलेरिज्म का जज्बा पैदा किया जाए।

देश को कुछ इन्तहापसंद राजनीतिक दलों की तरफ से भी हिंसा का खतरा है। इन दलों ने जिन सिद्धांतों को सामने रखा है, वे स्पष्ट रूप से हमारे संविधान और कानून के खिलाफ हैं। वे ठीक तरह से सरकार चलाने और प्रगति करने में बाधक हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसे किसी दल के लिए कोई जगह नहीं है जो हथियारों की मदद से विद्रोह करके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश में लगा हुआ हो।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1966 में सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बढ़ाने और उनकी शिकायतों को दूर करने की गरज से स्वेच्छा के आधार पर एक संगठन "ज्वाइंट कंसलटेशन एण्ड कंपल्सरी आरबीट्रेशन" बनाया गया था। सरकार को पूरा विश्वास है कि आपसी परामर्श और अनिवार्य पंच-निर्णय की योजना पर अमल करने से ही सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद तय हो सकेंगे, लेकिन इसके साथ यह जरूरी है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखा जाए और आवश्यक सेवाएं बेरोक-टोक जारी रखी जाएं। उनका यह इरादा है कि इस योजना को कानूनी आधार दे दिया जाए ताकि वह मजबूत पाए पर खड़ी रह सके।

कई बरसों तक धैर्यपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, पिछले वर्ष असम के पुनर्गठन के बारे में एक फार्मूला तैयार किया गया था। असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने के लिए संसद को आवश्यक अधिकार देने की गरज से एक संविधान संशोधन बिल संसद के सामने पहले ही रखा है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संसद इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी और राज्यों की विधान सभाएं इनका अनुमोदन कर देंगी तब सरकार इस योजना पर अमल करने के लिए एक कानून सामने लाएगी जिसमें पूरा ब्यौरा दिया होगा।

अपने देश के आंतरिक मामलों की चर्चा करके मैं अब संक्षेप में विदेशी मामलों की चर्चा करना चाहूंगा। सरकार इस बात से आश्वस्त है कि मोटे तौर पर उसकी विदेश नीति का ढांचा पक्का है और उसके सिद्धांत निश्चित रूप से खरे उतरे हैं। आज की दुनिया में, सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहजीवन, शांति को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण सहयोग, विश्व में आर्थिक खुशहाली और स्थिरता का कोई और विकल्प नहीं है। हरेक देश को निरंतर यह कोशिश करनी चाहिए कि वह आपस में सहमति के क्षेत्र का निरंतर विस्तार करे ताकि समय-समय पर उठ खड़ी होने वाली कठिनाइयों और झटकों के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया बेरोक-टोक चलती रहे।

संसार के बहुत से देशों के साथ भारत के संबंध कुल मिलाकर मजबूत हुए हैं। और सुधरे हैं। हमारा यह पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान बड़ा परिश्रम करके भारत के खिलाफ जो अविश्वास और संदेह फैलाता है और चीन अपनी विचारधारा की प्रिज्म के जरिए हमारे देश का जो चित्र तोड़-फोड़ कर पेश करता है, ये दोनों ही, स्थिति

की असलियत के सामने धराशायी हो जाएंगे। सरकार ने कई मौकों पर सफाई और ईमानदारी के साथ यह कहा है कि वह प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता के अनुरूप और एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में बिल्कुल दखल न देने के आधार पर अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहती है।

वियतनाम के विषय में सरकार का दृष्टिकोण साफ रहा है। इस दृष्टिकोण का आधार हमेशा यह रहा है कि वहां जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसी भी कठिनाइयां आएं, इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए कि वे बातचीत के जरिए दूर कर ली जाएंगी। यह बातचीत आजकल पेरिस में चल रही है। वियतनाम के जिन बहादुर लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली हैं, उन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भाग्य का खुद निर्णय करने देना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति का तकाजा है कि विश्व के उस भाग में होने वाले संकट को तत्काल दूर किया जाए। 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद् में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उस पर अमल करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। सरकार को आशा है कि सोवियत संघ, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच आजकल जो बातचीत चल रही है, उससे इस क्षेत्र में जल्दी ही शांति स्थापित होगी।

हमारी नीतियों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि संबंधों को मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए। मेरी और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का यही उद्देश्य रहा है। पिछले वर्ष मैं नेपाल, सोवियत संघ, हंगरी और यूगोस्लाविया गया था। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के अलावा, प्रधान मंत्री अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबागो और वेनेजुएला भी गई थीं। इन सभी देशों में मेरा और प्रधान मंत्री का जो स्वागत किया गया, वह इस बात का सबूत है कि ये राष्ट्र भारत का कितना आदर करते हैं। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था और यह बड़े संतोष की बात है कि उसमें भारत की विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत बताए गए थे, उनका व्यापक और हार्दिक स्वागत हुआ। प्रधान मंत्री ने लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री, सम्मेलन में भी भाग लिया। उस सम्मेलन में जो बहुत से राज्य-प्रमुख और प्रधान मंत्री इकट्ठे हुए थे, उनके साथ उन्हें विचारों का आदान-प्रदान करने का अच्छा अवसर मिला।

हमें भी बहुत से देशों और सरकारों के प्रमुखों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में, ईरान के महामहिम शहनशाह, आर्यमेहर और शाहबानो, श्रीलंका, बुल्गारिया और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे।

हमारी सरकार और हमारा सारा देश शांति के लिए उत्सुक है और उसे बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसके बावजूद हमें रक्षा की तैयारी में भी बहुत सावधान रहना है।

हमारी हथियारबंद सेनाओं को नए सिरे से हथियारों से लैस करने और उन्हें आधुनिक बनाने में काफी प्रगति हुई है। हमारी जंगी फौजों को अच्छी ट्रेनिंग दी गयी है और उनके हौंसले बुलन्द हैं। हमारे सिपाहियों, नाविकों और हवाबाजों की सेवा संबंधी शर्तों में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय बरते गए हैं। उनके वेतनमान बढ़े हैं और पेंशन की शर्तों में सुधार किया गया है। उनके कुछ भत्तों के दरों में भी इज़ाफा हुआ है। इसके साथ ही रक्षा खर्च में कमी करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है।

आईएनएस "नीलगिरि" पहला फ्रिगेट है जो हमारे देश में बना है और जिसे हाल ही में जल में उतारा गया है भारतीय नौसेना के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण तरक्की का निशान है।

हमारे आंतरिक और विदेशी मामलों का विवेचन करते समय यह जरूरी है कि उन कानून संबंधी और अन्य कार्यों की चर्चा की जाए जो कि आपके सामने रखे जाएंगे।

1969-70 के अगले माली वर्ष के लिए भारत सरकार की आमदनी व खर्च के अनुमानों का ब्यौरा आपके विचार के लिए जल्दी ही रखा जाएगा।

सरकार इस सेशन में ये वैधानिक कार्य संसद के सामने लाने की प्रस्थापना करती है:—

(क) वर्तमान अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए बिल:—

(1) परिसीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1968

(2) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968

(3) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969

(4) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969

(ख) नये बिल:—

(1) कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श और आवश्यक माध्यस्थम के तंत्र के लिए कानूनी आधार का उपबंध करने के लिए विधेयक।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विधेयक, 1969

(3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1969

(4) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969

(5) जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969

(6) दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1969

(7) कुछ केन्द्रीय श्रम अधिनियमों का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर करने के लिए विधेयक।

मैं इस भाषण को अब यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष हम गांधी जी की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं। हमारे मन में बहुत-से विचार, भावनाएं और नक्श उभर रहे हैं और हमारे देश का पूरा इतिहास आंखों के सामने आ रहा है। हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हमारा देश साधनों से भरपूर है। हमारे देशवासी अच्छे कलाकार हैं। हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी लोग कुछ उन श्रेष्ठ लोगों में से हैं जिन पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। हम अपने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए अच्छे साधनों और तरीकों पर तर्क और समझदारी की सीमा में रहकर एक-दूसरे के साथ बहस तो कर सकते हैं, पर हम सब इसमें एक हैं कि मिलकर गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और हर आदमी का दु:ख दूर करने, हर आंख का आंसू पोंछने की भी कोशिश करें। इस तरह से ही हम जनसाधारण की सेवा कर सकेंगे और इस विशाल गणराज्य की जिन महान पुरुषों ने नींव रखी है, उनके वचनों को पूरा कर सकेंगे। आप सब इस प्रयास में सफल हों, यही मेरी शुभकामना है।

डॉ. जाकिर हुसैन